एलएसपी व लोगों के सुझाव पर डीओआइटी ने शुरू किया मंथन

20 से कम काम तो ई-मित्र कियोस्क बंद!

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य में 85 हजार ई-मित्र कियोस्क हैं। इनमें से ऐसे कियोस्क संचालक, जो एक माह में 20 से कम ट्रांजक्शन कर रहे हैं, उनका ई-मित्र काउंटर बंद करने की तैयारी है। लोकल सर्विस प्रोवाइडर (ई-मित्र कियोस्क आवंटनकर्ता) मिले सुझाव के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआइटी) इसका मसौदा तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके पीछे मकसद उन ई-मित्र कियोस्क की छंटनी करना है, जो जनता का काम करने की बजाय कियोस्क की आड़ में अपना ही अन्य निजी कार्य कर रहे हैं, हालांकि अंतिम निर्णय सरकार स्तर पर होगा। अभी ई-मित्र पर 500 से ज्यादा सेवाएं जोड़ी हुई हैं।

ध्यान रखिए, 25 सेवाएं हैं निःशुल्क : बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल जमा करने सहित 25 सेवा शुल्क मुक्त है। इसमें नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री किसान योजना व पीएम श्रम योगी योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य योजना, जन आधार नामांकन, आरएसआरटीसी टिकिट कैंसिल, ईईएसएल प्रोडक्ट रिप्लेस करने, रि-प्रिंट डिजिटल साइन सर्टिफिकेट सहित अन्य सेवा शामिल हैं।

यह हो सकती है कार्रवाई

- अभी ई-मित्र संचालक एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो ही उसकी सेवा बंद की जा रही है, हालांकि 500 रुपए पेनल्टी जमा कराकर सेवा दोबारा शुरू कराने की व्यवस्था है।
- ई-मित्र संचालनकर्ता तय सुविधा देने से मना नहीं कर सकता है। यदि मना करता है तो उसका संचालन बंद किया जा सकता है। जिला कलक्टर ने एसडीएम को इसका अधिकार दे रखा है। मामले की गंभीरता के आधार पर 1 से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार है।

फैक्ट फाइल

85 हजार ई-मित्र कियोस्क हैं राजस्थान में

8014 ई-मित्र कियोस्क हैं जयपुर में इनमें से

500 से ज्यादा सेवाएं जुड़ी हैं ई-मित्र के जरिए अभी

Rajasthan Patrika Pg 2, 13/7/22